Parimal Nathwani
Member of Parliament
(Rajya Sabha)

Member:
Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice
Consultative Committee, Ministry of Commerce and Industry
Permanent Special Invitee:
Consultative Committee, Ministry of External Affairs

सत्यमेव जयते

165, South Avenue,
New Delhi - 110 011
Ph.: 011-23794010
e-mail : parimal.nathwani@sansad.nic.in

B/107, Harmu Housing Colony, P. O. Dorar
P. S. Argora, Ranchi - 834 012
Ph. : 0651-2244144

विशेष उल्लेख प्रस्ताव (पंचायती राज)

झारखण्ड में पंचायती राज की जड़ें मजबूत नहीं हैं। झारखण्ड नवम्बर 2000 में राज्य बना। झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2001 में बना। यहां प्रथम पंचायती चुनाव 2006 में होने थे, जो कानूनी विवाद के चलते 2010में ही हो सके। इससे पहले यहां पंचायती चुनाव सन् 1979 में हुए थे जब वह अविभक्त बिहार राज्य का हिस्सा था। झारखण्ड अधिकांशत: आदिवासी-बहुल क्षेत्र है। विकास की मुख्य धारा से विलग है। दस सालों तक पंचायती चुनाव न होने के कारण करीब 4000 करोड़ रुपए का नुक्सान उसने उठाया है। अब चूंकि 13वें वित्त आयोग ने वर्ष 2010-15 तक की अवधि के लिए पंचायती राज की संस्थाओं के लिए रु. 1517 करोड़ का प्रावधान किया है। मेरा केन्द्र से अनुरोध है कि नियमानुसार वार्षिक आधार पर साल में दो बार राज्य को निर्धारित धनराशि उपलब्ध कराए और यह सुनिश्चित करे कि राज्य यह धनराशि पंचायतों में आबंटित करे; ताकि प्रदेश के आखरी आम आदमी को पंचायती राज व्यवस्था के जरिये विकास का लाभ मिले। केन्द्र झारखण्ड में पंचायती राज व्यवस्था और संबद्ध संस्थाओं के परिचालन पर विशेष निगरानी रखे, ग्रामजनों को इनकी उपयोगिता के बारे में शिक्षित करे, जनहित में इस फण्ड का समुचित उपयोग सुनिश्चित करे और सरकारी अधिकारियों एवम् स्थानिक पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने के कदम उठाए ताकि झारखण्ड में पंचायती राज व्यवस्था देश के अन्य विकसित राज्यों के समकक्ष और सक्षम बन सके।

परिमल नथवाणी
राज्य सभा सांसद (झारखण्ड)